(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 42 / 2022

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

रणजीत उम्र 30 वर्ष पुत्र तुलसीराम़ जाति माली निवासी बम्बोरी थाना अन्ता जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 29.09.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रणजीत पुत्र तुलसीराम माली निवासी बम्बोरी थाना अन्ता जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2022 मे कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों 03 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में [illegible] अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत [illegible] गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा [illegible]षित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 14.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2022 मे कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों 03 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी को दिया गया नोटिस सर्वथा निराधार विधि, न्याय व प्रकियाप के सर्वथा विपरीत होने से अस्वीकार है। गैरसायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा मे नही आता है उसे सर्वथा गलत नोटिस दिया गया है इस परिभाषा मे वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो अप्रार्थी के विरूद्व चला है और न ही कभी उसे सजायाब किया गया है। उसे सर्वथा निराधार आधारों पर नोटिस दिया गया है, पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है जो गैरसायल को धारा 2 (बी) के तहत गुण्डा ठहराती हो। गैरसायल के विरूद्व मात्र 13 आर.पी.जी.ओ. के तीन प्रकरण दर्ज हुए है। जिसमे भी लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाया गया है तथा मात्र जुर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल को गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व नोटिस दिया गया है। गैरसायल को धारा 2 (बी) के तहत गुण्डा ठहराती हो इस सम्बन्ध मे 1984 एल.आर. (राजस्थान 206), 1996–97 सी.आर.एस. 216, 2980 एल.आर.डब्ल्यू पेज 6, 1995 राज0 492, 1996 (1) आर.सी.डी. (राज.) 147 के विधि दृष्टांत से स्पष्ट है। गैरसायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2022 मे कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों 03 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रणजीत पुत्र तुलसीराम जाति माली निवासी बम्बोरी तहसील अन्ता जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल रणजीत पुत्र तुलसीराम जाति माली निवासी बम्बोरी तहसील अन्ता जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अन्ता जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल रणजीत पुत्र तुलसीराम जाति माली निवासी बम्बोरी तहसील अन्ता जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता जिला बारॉ से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल इस अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीसवाली जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अवांछित ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 15.10.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2023** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested